AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 29th October, 1984

In Haryana Government, Agriculture Department Notification No. 240-Agri. S(3)-84/1800, dated the 9th February, 1984, published in the *Haryana Government Gazette* (*Extraordinary*) dated 9th February, 1984 ;

(1) In item (ii) under heading "Persons licensed under section 10 of the Act"

(a) against serial number 1 for "Shri Sham Chand", *read* "Shri Sham Sunder" (in English version)

(b) against serial number 2 for "M/s. Hardwari Lal Kishán Dass" *read* "M/s. Hardawari Lal Shri Kishan Dass"

G. L. BAILUR,

Secretary to Government, Haryana,
Agriculture Department.

कृषि विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 अक्तुबर, 1984

हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9 फरवरी, 1984 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना संख्या 240–कृ. आ(3)–84/1800, दिनांक 9 फरवरी, 1984 में मद (II) में;

(1) "अधिनियम की धारा 10 के अधीन "लाईसैंसदार शीर्षक के अधीन ।

(क) क्रम संख्या 1 में ' श्री शामचन्द" के लिये "श्री शाम सुन्दर" पढ़ा जाये ।

(केवल इंगलिश में)

(ख) क्रम संख्या 2 में "मैं० हरद्वारी लाल किशन दास" के लिये "मैं० हरद्वारी लाल श्री किशन दास" पढ़ा जाए ।

जी० एल० बैलूर,

सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 18 अक्तूबर, 1984

सं. ओ. वि./सोनीपत/124-84/38885.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. [illegible] प्रा. लि., कुन्डली (सोनीपत) के श्रमिक श्री श्रीराम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ,

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.ई.श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री श्रीराम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एस० के० महेश्वरी,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।